प्रेस नोट दिनांक 03.09.2025

17 नफर वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार–

आज दिनांक 03.09.2025 को जनपद के विभिन्न थानों द्वारा देखभाल क्षेत्र व चेकिंग के दौरान थाना मधुबन पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक इकबाल अहमद पुत्र अब्दुल जब्बार निवासी कटघरा शंकर, अभियुक्ता शायरा पत्नी जहरुद्दीन निवासी सकड़ीकोल थाना मधुबन जनपद मऊ, थाना कोपागंज पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण जितेन्द्र पुत्र चन्द्रदेव निवासी मुंगमास निवासी, ऋषि यादव पुत्र श्रीराम निवासी सोड़सर, अरविन्द पुत्र शिवमूरत निवासी लाड़नपुर, मो0 अरसद पुत्र हबीबुर्रहमान निवास नयापुरा, राजीव शर्मा पुत्र जयलाल शर्मा थाना कोपागंज मऊ, थाना हलधपुर पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त श्रीनिवास पुत्र रामनाथ राजभर थाना हलधपुर जनपद मऊ थाना कोतवाली पुलिस द्वारा वारंटी अभियुकत जावेद पुत्र बदरुद्दान निवासी मुंशीपुरी बारह वियहा के पीछे. थाना मुहम्मादाबाद पुलिस द्वारा वारंटी अभियुकगण दुर्गविजय पुत्र रामनाथ चौहान निवासी भैसहा, राजू यादव पुत्र रामायण यादव निवासी तिलसवा, अशोक गुप्ता पुत्र महेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवासी सैदपुर, रामविजय पुत्र मोती लाला निवासी सुतरही थाना मुहम्मादाबाद जनपद मऊ, थाना द0 टोला पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्त उमेश सोनकर पुत्र विपत सोनकर निवासी औरगांबाद डिहवा, थाना घोसी पुलिस द्वारा वारंटी अभियुक्तगण भोला पुत्र उपेन्द्र राय निवासी अमिला, रहीस नाऊ पुत्र बेचन नाऊ, दिनेश पुत्र गनपत निवासी रसड़ी थाना घोसी जनपद मऊ को गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया।

थाना कोपागंज जनपद मऊ द्वारा अवैध कच्ची शराब कुल 902 लीटर का कराया गया विनष्टीकरण–

"आपरेशन क्लीन" अभियान के क्रम में श्रीमान् पुलिस अधीक्षक मऊ श्री इलामारन जी के निर्देशन में बरामद/मुकदमाती मालों/अवैध शराब का कराया जा रहा विनष्टीकरण। शराब विनष्टीकरण के तहत मा0 न्यायालय के आदेश के क्रम में दिनांक 03.09.2025 को नायब तहसीलदार सदर श्री निशान्त मिश्र, क्षेत्राधिकारी घोसी श्री जितेन्द्र सिंह व प्रभारी निरीक्षक कोपागंज श्री रविन्द्र नाथ राय के उपस्थिति में थाना कोपागंज में कुल 18 अभियोगों से सम्बंधित अवैध मादक पदार्थ (शराब) कुल 400 लीटर माल को गिराकर नष्ट कराया गया। जिसका मौके पर फोटो, विडियोग्राफी किया गया।